

14-5-22

वादी वकील द्वारा शिष्ट मुकदमा का प्राथमिक पत्र पेश करने पर पत्रावली के अन्तर्गत अदालत में आज पेश हुई प्राथमिक पत्र वापिस जा रहा है। वादी वकील द्वारा उपस्थित होकर शोदीशना पर कोर्ट-फ्रॉम अर्जेंट कर वाद प्रकरण में मामला आपीवादी नहीं चाहते है। वाद प्रकरण में मुझे मेरी वादनी द्वारा प्राथमिक पत्र पेश कर वाद को विद्रो कर रहे हेतु विवेक किमा गया प्रतिवादी वकील द्वारा भी प्राथमिक पत्र पर जो-डीमण्डेशन अर्जेंट किमा है उस पर वादी प्रतिवादीओं को मुवा जाकर पत्रावली का अवलोकन व मतब कीमा गया है। वादनी वाद प्रकरण में अब आपीवादी नहीं चाहती है।

अतः पत्रावली कोर्ट-फ्रॉम व विद्रो प्राथमिक-पत्र में एक्ट द्वारा शारील कर जाती है। पत्रावली केसल सुमा 2 कोकर बम्बर से लख होकर दारपीन दफ्तर हो। निर्णय शुभे न्यायालय में हुलाका गया।

उपरखण्ड अधिकारी  
सौरभ लेक

*Rajaram*  
न्यायाधिकारी  
राज न्यायालय, सीकर जेक  
बिला-सबपुर

Not press  
11/2/22  
Advocate  
14/5/22

